द्वारा फैक्स/महत्वपूर्ण

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश
# नं0 1, तिलक मार्ग, लखनऊ

परिपत्र संख्या- 28 दिनांक:अप्रैल 20 , 2015

टास्क आर्डर

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक
उत्तर प्रदेश ।

कल दिनांक 21.04.2015 से ही पूरे प्रदेश में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद को निर्देश निर्गत किये जाएं कि वो सभी सर्किलों के सर्किल मुख्यालय पर जाकर वृह्द स्तर पर अर्दली रूम करें, जिसमें-

1. तफ्तीशों के निस्तारण की स्थिति
2. पार्ट पेंडिंग तफ्तीशों की स्थिति
3. प्रार्थना पत्रों का निस्तारण
4. वारण्टियों की गिरफ्तारी
5. वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी
6. पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी

एवं अन्य अहकामात की समीक्षा करें तथा उन उपनिरीक्षकों को अथवा निरीक्षकों को दण्डित करें, जिनके यहाँ सबसे ज्यादा अभियोग लम्बित हैं।

सभी क्षेत्राधिकारियों से पुलिस अधीक्षक प्रभारी यह लिखित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें तथा पिछले 10 साल के अपराध रजिस्टरों को देखकर क्षेत्राधिकारी आख्या दें कि उनके यहाँ कितनी तफ्तीशें लम्बित हैं, कितनी तफ्तीश पार्ट पेंडिंग हैं, कितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी बची है व बची है तो क्यो? वारण्टियों की धर-पकड़ की क्या स्थिति है, किस विवेचक द्वारा कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये गये हैं, कितने हाजिर अदालत हुए हैं, कितनों के खिलाफ कोई कार्यवाही ही नहीं हुई। पासपोर्ट सत्यापन एवं अन्य इसी प्रकार के सत्यापनों की क्या स्थिति है,

कहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है। इस अर्दली रूम में प्रत्येक विवेचक अपनी-अपनी केसडायरी व तफ्तीश रजिस्टर के साथ उपस्थित हों तथा सभी जनपद प्रभारी इसकी गहन समीक्षा करें। यह कार्यवाही प्रत्येक माह होगी तथा आपका व पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र का उत्तरदायित्व होगा कि इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा प्रत्येक माह की अनुपालन आख्या 02 तारीख तक प्रेषित की जाय। यह अर्दली रूम बाकायदा वर्दी में हों तथा तहसील मुख्यालय अथवा सर्किल मुख्यालय पर हों, इनको सदर में बुलाकर न किये जाएं। इसका व्यापक प्रभाव कानून व्यवस्था की स्थिति पर पड़ेगा। मेरे आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन अपने-अपने जोन में तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित कराएं।

स्पष्ट आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय के हो चुके हैं तथा आरोप-पत्र न्यायालय दाखिल होने हैं, उसकी भी अपने-अपने पूरे जोन में अभियान चलाकर समीक्षा कर लें कि उसकी क्या स्थिति है व कहाँ पर लापरवाही हो रही है। आपसे भी अपेक्षा करूँगा तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र भी अपने-अपने भ्रमण के दौरान उपरोक्त बिन्दुओं पर समीक्षा कर लें व जहाँ लापरवाही हो रही हो उसकी एक रिपोर्ट मुझको भी प्रेषित कर दें।

20.4.15

(अरविन्द कुमार जैन)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः-</u>

1- अपर पुलिस महानिदेशक-अपराध/कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश को भी इस आशय से कि वो भी अपने-अपने स्तर से प्रदेश में अनुपालन सुनिश्चित करा लें।

2- समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।